

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/485 //

जबलपुर, दिनांक 11/02/2021

IV-12-14 80 VII-Q

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल  
दिनांक 1 सितम्बर, 2012 जे अनुसार श्री राम चरण कुशवाहा, फरारी, उच्च न्यायालय  
मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 05, 12/2020 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता  
है।

सही/-  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/486 //

जबलपुर, दिनांक 11/02/2021

IV-12-14 80 VIII-Q

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को ऊर्ध्व आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
2. असि रजिस्ट्रार (एन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (ज) लेखा/पेशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पञ्ज, संवापुरितका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहीत आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री राम चरण कुशवाहा, फरारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(किशोर पिठवे)  
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.